



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

12012 निगानी

- १- सावित्री पत्नी मिथिलाराम ,
- २- अंजनी तनय श्री मिथिलाराम ,
- ३- गणेश तनय श्री मिथिलाराम ,
- ४- सत्यवती पत्नी श्री राजमणि ,
- ५- रामायण तनय श्री दलसिंगाराम ,
- ६- श्रीमती सुशीला पत्नी स्व० श्री राममुक्तराम ,
- ७- कृष्णा कुमारतिवारी तनय स्व० श्री राममुक्तराम
- ८- पवन कुमार तिवारी तनय स्व० श्री राममुक्तराम
नावालिग एवं सरंदाका मां श्रीमती सुशीला ,
- ९- प्रवीण कुमार तनय स्व० श्री राममुक्तराम ,
नावालिग सरंदाका मां श्रीमती सुशीला ,
- १०- रामयश तनय श्री दलसिंगाराम ,
समी निवासीगण खजूरी थाना-सीमा
तेहसील गोपदयनास, जिला सीधी (म.प्र.)
बिरुद्ध -----प्राधीगण

- १- अरुण कुमार त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर ,
त्रिपाठी ,
- २- ओमप्रकाश त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर त्रिपाठी
- ३- आचित्यनारायण त्रिपाठी तनय श्री उमाशंकर
त्रिपाठी ,
- ४- आनन्द कुमार त्रिपाठी तनय श्री अयोध्या प्रसाद
त्रिपाठी ,
- ५- अजीत कुमार त्रिपाठी तनय श्री अयोध्या प्रसाद
त्रिपाठी ,
- ६- कृष्णा कुमार तनय अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी ,
- ७- मुधुनी देवा पत्नी श्री राम रसवाराराम ,

क्रमशः--२

R 3885-III

श्री राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
द्वारा आज दि 9-11-12 को
प्रस्तुत
9-11-12
सल्लर ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Handwritten signature

24/9/12

Handwritten signature

र तुल है :-
अधिकारी महोदय
न्यायालयों में
नहीं समझा
है कि एसडी
लिये नियत सुनवाई
एसडीओ महोदय
कोई भी उपस्थित न हो
ओओ महोदय के न्यायालय
वक महोदय उपस्थित थे, इस
रवी में निरस्त किया गया है
रण अवम पेर वी में निरस्त नि
सुनवाई का अक्षर दिव्य प्रकरण
सकता ।
अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट है
नापित किये जाने का कोई बाते
गया है, ऐसी स्थिति में विव
स्थापित किये जाने का आदेश

1. जिला-सीधी (म.प्र.)
हतागण/अनावेदकगण

Handwritten signature

- ८- गंगा तनय तीरथ राम,
सभी निवासीगण ग्राम खजुरी, थाना सीधी,
तेह० गोपदबनास, जिला सीधी (मध्य०) ।
९- मध्यप्रदेश शासन

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय, सीधी दिनांकी ६-१०-१२,
अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश व मू-राजस्व व संहिता, १९५६, प्र०क्र० ११।११-१२
निगरानी ।

श्री मान जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, अर कलेक्टर महोदय एवं अनुविभागीय अधिकारी महोदय की आज्ञाएँ कानूनन सही नहीं हैं ।
- २- यह कि, अधीनस्थ अमीलीय एवं निगरानी न्यायालयों ने प्रकरण के स्वल्प एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।
- ३- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट है कि एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में अमील प्रकरण के लिये नियत सुनवाई के दिनांक ७-६-११ को प्रतिप्राथीगण जो एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में अमीलान्टस् थे, की ओर से कोई भी उपस्थित न था। प्रतिप्राथीगण/आ
प्रार्थीगण जो कि एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में, थे, की ओर से अभिभाषक महोदय उपस्थित थे, इस कारण अमील प्रकरण अदम पेरवी में निरस्त किया गया है । जब प्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रकरण अदम पेरवी में निरस्त किया गया था, तब बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिये प्रकरण की पूर्ण सुनवाई नहीं किया जा सकता । 32 वर्ष, 11
28 वर्ष, 11
- ४- यह कि, अभिलेख से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रकरण की शा-सीधी, 00/01

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/3885/1/12,

सावित्री / अरुण

51


स्थान तथा
दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं
अभिभाषकों के
हस्ताक्षर

8/11/19

आवेदक की ओर से श्री एस. के. अलखी
अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी
के प्रकरण क्रमांक 11/निगा/11-12 में पारित आदेश दिनांक
06/10/12 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में
दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित
संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु
प्रकरण आयुक्त संभाग सीवा के न्यायालय को अंतरित किया
जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को संभागीय आयुक्त
सीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।


सदस्य

